रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 308] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 14, 2015/वैशाख 24, 1937
No. 308] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 14, 2015 /VAISAKHA 24, 1937

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 2015

सा.का.नि. 385(अ).— केंद्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (ञ) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) (संशोधन) नियम, 2015 है।

   (2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय ये नियम, राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के नियम 2 में, -

   (i) खण्ड (ख ख) और (ख ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् –

   '(ख ख) "औद्योगिक उपभोक्ता" से ऐसा उपभोक्ता अभिप्रेत है जो उस उद्योग द्वारा उपयोग किए जाने के लिए पैकेज में रखी वस्तुओं को सीधे विनिर्माता अथवा आयातकर्ता अथवा थोक विक्रेता से क्रय करता है और पैकेज पर "फुटकर बिक्री के लिए नहीं" की घोषणा की गई हो।

   (ख ग) "संस्थागत उपभोक्ता" से ऐसी संस्था अभिप्रेत है जो परिवहन, होटल, अस्पताल अथवा अन्य संगठन जो उस संस्था द्वारा उपयोग के लिए पैकेज में रखी वस्तुओं को सीधे विनिर्माता से

अथवा आयातकर्ता से अथवा थोक विक्रेता से क्रय करती है और पैकेज पर “फुटकर बिक्री के लिए नहीं” की घोषणा की गई हो।

(ii) खण्ड (ट) में, निम्नलिखित परन्तुक अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु यह कि “फुटकर खाद्य पैकेज” के प्रयोजनार्थ वही परिभाषा लागू होगी जो, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) के अधीन बनाए गए नियमों अथवा विनियमों में अंतर्विष्ट है।”

3. उक्त नियमों के, नियम 6 में, -

(i) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम 1 जनवरी, 2016 से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(2) प्रत्येक पैकेज पर उस व्यक्ति अथवा कार्यालय का नाम, पता, दूरभाष, ई-मेल का पता होगा जिससे उपभोक्ता शिकायतों के मामले में संपर्क किया जा सकता है।”

(ii) उप-नियम (8) के बाद, निम्नलिखित उप-नियम अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(9) इस नियम में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इन नियमों के अधीन अपेक्षित घोषणाएं करने के लिए आयातित पैकजों पर लेबल लगाना अनुज्ञेय होगा।”

4. उक्त नियमों के नियम 7, में, -

(i) उप-नियम (1) में ‘पांच क्यूबिक सें.मी. अथवा कम’ शब्दों के स्थान पर ‘दस क्यूबिक सें.मी. अथवा कम’ शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उप-नियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम 1 जनवरी, 2016 से अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(5) कैन के ऊपरी, निचले, ऊपरी हिस्से के फ्लैंज तथा निचले भाग और बोतल एवं जार के उभरे हुए हिस्से तथा गर्दन जैसे भाग से अलग क्षेत्र का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा :-

(क) आयताकार पैकेज के मामले में, जहां पर संपूर्ण एक साइड को उपयुक्त रूप में मूल प्रदर्श पैनल साइड समझा जा सकता है, वहां पर उत्पाद की मात्रा की गणना के लिए उस ऊंचाई को उस साइड की चौड़ाई से गुणा किया जाएगा।

(ख) बेलनाकार अथवा लगभग बेलनाकार पैकेज के मामले में, उत्पाद की मात्रा की गणना के लिए पैकेज की ऊंचाई के 40 % को परिधि द्वारा गुणा किया जाएगा।

(ग) किसी अन्य आकार के पैकेट के मामले में, पैकेट की कुल सतह अथवा क्षेत्र के 40% भाग को पैकेट का प्रमुख प्रदर्शन पैनल माना जाएगा।”

5. उक्त नियमों के नियम 9 के उप नियम (3) में, परन्तुक का लोप किया जाएगा।

6. उक्त नियमों में, नियम 10 के उप-नियम (1) के स्पष्टीकरण में, ‘जहां फैक्टरी स्थित है’ शब्दों के स्थान पर 1 जनवरी, 2016 से ‘जहां कंपनी अथवा फर्म पंजीकृत है’ शब्द रखे जाएंगे।

7. उक्त नियमों के नियम 12 के उप-नियम (7) में, '5 क्यूबिक से.मी. अथवा उससे कम' अंकों, शब्दों और अक्षरों के स्थान पर '10 क्यूबिक से.मी. अथवा कम' शब्द रखे जाएंगे।

8. उक्त नियमों के नियम 13 में, -

(i) उप-नियम (5) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

स्पष्टीकरण- इस उप-नियम के प्रयोजनार्थ, यह स्पष्ट किया जाता है कि लीटर के लिए यूनिट को दर्शाने हेतु अक्षर आई 'I' और अंक '1' में भ्रम की स्थिति से बचने के लिए अक्षर 'एल' को अपनाया जा सकेगा।

(ii) उप-नियम (5) के पश्चात, निम्नलिखित उप नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(6) जहां पहले से पैकबंद पैकेट में उसी वस्तु के पैकेटों की संख्या, पैकेटों की संख्या और प्रत्येक पैकेट की मात्रा को पैकेट में मात्रा की अनुपूरक घोषणा के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण- इस उप नियम के प्रयोजनार्थ, जहां पैकेट की निबल मात्रा 100 ग्राम है, पैकेटों की संख्या को प्रत्येक पैकेट की निबल मात्रा के गुणज को प्रत्येक भार के साथ गुणा करके अंकों में अलग से प्रदर्शित किया जाएगा (अर्थात् 10 अंक x 10 ग्राम)"।

9. उक्त नियमों में, नियम 26 के खण्ड (क) में, निम्नलिखित परन्तुक को 1 जनवरी, 2016 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह कि इस खण्ड के उपबंध तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों पर लागू नहीं होगें"

10. उक्त नियमों के नियम 32 में, -

(i) उप नियम (1) में, '27 से 31' अंकों और शब्दों के स्थान पर '27 और 28' अंकों और शब्दों को रखा जाएगा;

(ii) उप-नियम (2) में, 'या तो अधिनियम अथवा नियमों में' शब्दों का लोप किया जाएगा।

11. उक्त नियमों में, नियम 33 के उप-नियम (1) में, 'आवेदन में उल्लिखित मामले को शमनीय बनाने अथवा न्यायालय के निर्णय' शब्दों का लोप किया जाएगा।

12. उक्त नियमों में, सारणी की दूसरी अनुसूची में, क्रम संख्या 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

क्रम सं.	वस्तु	मात्रा जिसमें पैक किया जाना है
1	2	3
"12.	साबुन रहित डिटर्जेन्ट्स (पाऊडर)	50 ग्राम से नीचे कोई निर्बंधन नहीं, 50 ग्राम, 75 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम, 700 ग्राम, 750 ग्राम, 800 ग्राम, 1 कि.ग्रा., 1.5 कि.ग्रा., 2 कि.ग्रा. और उसके पश्चात्, 1 कि.ग्रा. के गुणज में। "

13. उक्त नियमों की तीसरी अनुसूची में, क्रम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

क्रम सं.	वस्तु का नाम
"4.	कपूर "

[फा. सं. डब्ल्यू.एम.-9(86)/2014]

जी. गुरूचरण, अवर सचिव

नोट:- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में तारीख 7 मार्च, 2011 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 202(अ) के अधीन प्रकाशित किए गए और तारीख 4 दिसम्बर, 2014 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 870(अ) द्वारा अंतिम संशोधित किए गए।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th May, 2015

G.S.R. 385(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (j) of sub-section (2) of section 52 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011, namely:–

1. (1) These rules may be called as the Legal Metrology (Packaged Commodities) (Amendment) Rules, 2015.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2,–

(i) for clauses (bb) and (bc), the following clauses shall be substituted, namely:–

'(bb) "industrial consumer" means the consumer who buys packaged commodities directly from the manufacturer or from an importer or from wholesale dealer for use by that industry and the package shall have declaration 'not for retail sale';

(bc) "institutional consumer" means the institution who hires or avails of the facilities or services in connection with transport, hotel, hospital or other organisation which buy packaged commodities directly from the manufacturer or from an importer or from wholesale dealer for use by that institution, and the package shall have declaration 'not for retail sale';'

(ii) in clause (k), the following proviso shall be inserted, namely:–

"Provided that for the purposes of "retail food package", the definition of the same contained in the rules or regulations made under the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) shall apply." .

3. In the said rules, in rule 6,–

(i) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted w.e.f 1st January, 2016, namely:–

"(2) Every package shall bear the name, address, telephone number, e-mail address of the person who can be or the office which can be contacted, in case of consumer complaints.".

(ii) after sub-rule (8), the following sub-rule shall be inserted, namely.–

"(9) Without prejudice to the provisions contained in this rule, it shall be permissible to affix a label on imported packages for making the declarations required under these rules.".

4. In the said rules, in rule 7,–

(i) in sub-rule (1), for the words 'five cubic centimeters or less' the words 'ten cubic centimeters or less' shall be substituted;

(ii) after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted w.e.f. 1st January, 2016, namely:–

"(5) the area not including the top, bottom, flange at top and bottom of cans, and shoulders and neck of bottle and jars shall be determined as follows, namely:-

(a) in the case of a rectangular package, where one entire side can properly be considered to be the principal display panel side, the product of the height multiplied by the width of that side.

(b) in case of a cylindrical or nearly cylindrical package, 40 per cent of the product of the height of the package multiplied by the circumference.

(c) in case of any other shaped package, 40 per cent of the total surface of the package, or an area considered to be a principal display panel of the package."

5. In the said rules, in rule 9, in sub-rule (3), the proviso shall be omitted.

6. In the said rules, in rule 10, in sub-rule (1), in the Explanation, for the words 'at which the factory is situated', the words 'at which the company or firm is registered' shall be substituted w.e.f. 1st January, 2016.

7. In the said rules, in rule 12, in sub-rule (7), for the figure, words and letters '5 cubic cm or less', the words 'ten cubic centimeters or less' shall be substituted.

8. In the said rules, in rule 13,-

(i) in sub-rule (5), the following Explanation shall be inserted, namely:–

Explanation.- For the purposes of this sub-rule, it is clarified that for indicating the unit for litre, the letter 'L' may be adopted to avoid confusion with the letter 'I' and figure '1'.";

(ii) after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely:–

"(6) where there are number of packages of the same commodity in a prepackage, the number of packages and the quantity of each package shall be indicated as a supplementary quantity declaration in the package.

Explanation.- For the purposes of this sub-rule, where the net quantity of a package is one hundred grams, the number of packages multiplied by the net quantity of each package shall be separately indicated in numbers multiplied by its individual weight (i.e 10 number x 10 gram).".

9. In the said rules, in rule 26, in clause (a), the following proviso shall be inserted w.e.f. 1st January, 2016, namely:–

"Provided that the provisions of this clause shall not be applicable for tobacco and tobacco products.".

10. In the said rules, in rule 32,–

(i) in sub-rule (1), for the figures and word '27 to 31', the figures and word '27 and 28' shall be substituted;

(ii) in sub-rule (2), the words 'either in the Act or in the rules' shall be omitted.

11. In the said rules, in rule 33, in sub-rule (1), the words 'of the compounding of a case or a Court decision stated in the application' shall be omitted.

12. In the said rules, in the Second Schedule, in the Table, for serial number 12 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be substituted, namely:–

Sl. No.	Commodities	Quantities in which to be packed
	2	3
"12.	Non-soapy detergents (powder)	Below 50 g no restriction, 50g, 75g, 100g, 150g, 200g, 250g, 400g, 500g, 700g, 750g, 800g, 1kg, 1.5 kg, 2 kg and thereafter, in multiples of 1 kg.".

13. In the said rules, in the Third Schedule, after serial number 3 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely:–

Sl. No.	Name of commodity
"4.	Camphor".

[F. No. WM-9(86)/2014]

G. GURUCHARAN, Add. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 202(E), dated the 7th March, 2011 and last amended, *vide* notification number G.S.R. 870(E), dated the 4th December, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.